



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, शिवित लार्डन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क) ( ) सीई / डीएलवी / IRGY(U)/2022-23 / 4/085-118 दिनांक : 26/05/2022

जिला कलेक्टर एवं

जिला परियोजना समन्वयक,

(इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना),

समस्त राजस्थान।

विषय : राज्य की समस्त नगरीय निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्याक पत्रांक : 29390-422 दिनांक 06.05.2022 एवं 32911-943 दिनांक 12.05.2022 की निरन्तरता में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 06.05.2022 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य की समस्त नगरीय निकायों में इसी वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित करने हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) की मार्गदर्शिका (Guidelines) एवं दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। योजना की मार्गदर्शिका के विन्दु सं. 9 (C) पर जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (DPC) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में आयुक्त, नगर निगम/परिषद (जिला मुख्यालय) को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त जिला स्तरीय समिति में अतिरिक्त संशोधन करते हुये, जयपुर जिले के लिये आयुक्त, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज, जोधपुर जिले के लिये आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर एवं कोटा जिले के लिये आयुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर को उक्त समिति में सदस्य सचिव नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त जिला स्तरीय समिति में सम्यन्धित नगर निकाय के आयुक्त/अधिसापी अधिकारी भी सदस्य होंगे।


साथ ही विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.05.2022 के विन्दु संख्या-4 में आंशिक संशोधन करते हुये, जिला मुख्यालय की नगरीय निकायों में जयपुर जिले के लिये आयुक्त, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज, जोधपुर जिले के लिये आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर उत्तर एवं कोटा जिले के लिये आयुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर को अधिकृत किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(हितेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ. 56 (क) ( )सीई/डीएलवी/IRGY(U)/2022-23/4/119-415 दिनांक 28/05/2022  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष (समस्त), राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
11. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
12. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
13. आयुक्त/अधिशार्पी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें (समस्त), राजस्थान।
14. वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक, निदेशालय।
15. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
16. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
17. सुरक्षित पत्रावली।

  
(श्री. मनुज कुमार)  
मुख्य अभियन्ता